

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:—340/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00291)

1. भगवान सहाय पुत्र महादेव प्रसाद,
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र महादेव प्रसाद,
3. हरफूल पुत्र महादेव प्रसाद, समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सूरजभान चौहान पुत्र जे.बी.चौहान, जाति राजपूत निवासी 88, ग्राम खिड़की, नई दिल्ली।
2. रघुवीर प्रसाद पुत्र बद्रीनारायण, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चन्दवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये मुख्यारआम सूरजमल मीना पुत्र श्री रामदेव मीना निवासी ग्राम सुन्दर का बास, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या:—381/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00290)

1. भगवान सहाय पुत्र महादेव प्रसाद,
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र महादेव प्रसाद,
3. हरफूल पुत्र महादेव प्रसाद, समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. श्रीश्याम शिक्षा समिति चंदवाजी जरिये सचिव, भगवान सहाय यादव निवासी चन्दवाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सूरजभान चौहान पुत्र जे.बी.चौहान, जाति राजपूत निवासी 88, ग्राम खिड़की, नई दिल्ली।
2. रघुवीर प्रसाद पुत्र बद्रीनारायण, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चन्दवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये मुख्यारआम सूरजमल मीना पुत्र श्री रामदेव मीना निवासी ग्राम सुन्दर का बास, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 07.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 29.08.2017 (प्रकरण संख्या 16/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(2)

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के जरिये मुख्याराम सूरजमल मीना ने तहसीलदार आमेर के समक्ष ग्राम सालडवास में स्थित आराजी कृषि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार आमेर ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2017 में ग्राम सालडवास में स्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 480, 481 486 से 492, 476 से 478, 479/584 के सीमाज्ञान के आदेश प्रदान किये गये थे जो पटवारी हल्का चंदवाजी व अन्य ने तहसीलदार के आदेशों की अवलेलना करते हुये केवल मात्र खसरा नम्बर 489/584, 478, 489 का ही सीमाज्ञान किया गया जिससे प्रथम दृष्टता ही स्पष्ट हो जाता है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट रेस्पोजेन्ट सूरजभान मीना के निवेदन पर ही की गई है और उसके निवेदन पर अन्य खसरा नम्बरान को छोड़कर उक्त खसरा नम्बर का ही सीमाज्ञान किया गया जो अपने आप में मिथ्या एवं पक्षपातपूर्ण है जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि रेस्पोजेन्ट की नियम में खोट था इसिलये अन्य नम्बरान का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.06.2017 की पालना में रेस्पोजेन्ट सूरजमल मीना ने फर्जी तौर पर पटवारी गिरदावर से मिलीभगत करके सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करवाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहाँ धारा 128 बाबत पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अपीलान्त ने अधिवक्ता नियुक्त कर पत्थरगढी प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 25.07.2017 व लिखित बहस दिनांक 02.08.2017 को पत्थरगढी में उठाये गये बिन्दुओं का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया गया था कि दिनांक 05.07.2017 के सीमाज्ञान की कोई जानकारी अपीलार्थी को इस सम्बन्ध में नहीं है, न ही कोई सूचना जवाबदाता अपीलान्त को दी गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 479/584 की सीमा नक्शे में मुस्तकील नहीं है, चैन लाईन से बनाई गई है, इसके आधार पर सीमा का निर्धारण नहीं हो सकता, वास्तविकता यह है कि सीमाज्ञान कराने में उक्त खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 476, 477, 478 की सीमा के आधार पर ही हो सकता है जो मिलीभगत करके इन नम्बरों का सीमाज्ञान नहीं किया गया जिसके कारण दिनांक 05.02.2017 की सीमाज्ञान रिपोर्ट का संदिग्ध ही प्रतीत होती है, इन सब तथ्यों की अवहेलना करते हुये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर ने पक्षपात तरीके से पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये जो, विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि दिनांक 05.07.2017 की सीमाज्ञान रिपोर्ट में यह कतई उल्लेख नहीं किया गया है कि किस बिन्दू से से किस बिन्दू तक जरीब चलाई गई एवं किस खसरा नम्बर का कौनसा कौना कितनी जरीब पर कायम किया गया, रिपोर्ट पर सीमाज्ञान सरसरी तौर पर किया गया है जो सही नहीं है, ना तो खसरा नम्बर के कोना ज्ञान कराया

P.T.O.

भागिय आयुक्त
जयपुर

(3)

गया है, ऐसी अवस्था में रिपोर्ट सीमाज्ञान अपूर्ण होने के फलस्वरूप सीमाज्ञान निरस्त किये जाने योग्य है जिसकी अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2017 को अपीलान्त क विरुद्ध पक्षपातपूर्ण तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहाँ अपीलान्त द्वारा दौराने बहस में निवेदन किया गया था कि "पूर्व में थाना चंदवाजी द्वारा दिनांक 26.05.2013 को सीमाज्ञान मौके पर कराया गया अपीलान्त के खसरा नम्बर 479/561 में मिट्टी की डोल बनी हुई है जो अपीलान्त की सीमा क्षेत्र में थी तथा पश्चात्वर्ती मुकदमा संख्या 102/2016 पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई जो पटवारी हल्का द्वारा मौके की स्थिति पर खसरा नम्बर 479/ व 479/561 पर खातेदारी अप्रार्थीगण की सीमा में नींव भरी हुई है, सीमा के बाहर नींव नहीं खुदी हुई है, इसी सीमा पर पूर्व से अप्रार्थी का पक्का डण्डा बना हुआ है जिसमें कोई विवाद नहीं है। उन्होंने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मुख्यारआम सूरजमल मीना एक भू-माफिया व्यक्ति है, जो कृषि भूमि पर अवैधानिक तौर पर प्लॉट काटकर बैचान करता है, पडौसी खातेदारों के साथ निरन्तर झगड़ा फसाद करता रहता है ताकि लोग परेशान होकर अपनी आराजी कृषि भूमि को हस्तान्तरकरण कर दें।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त ने अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 479, 479/561 के सीमांकन के आधार पर पत्थरगढी की कार्यवाही के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहाँ धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था जिसका मुकदमा नम्बर 56/2016 उनवान भगवान सहाय बनाम सूरजभान है, जिसमें निवेदन किया गया था कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 479, 479/561 व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 16/2017 में उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 489, 479/584 आपस में सींव जोड है, की पत्थरगढी एक साथ कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावें जिसमें किसी भी पक्षकार को कोई परेशानी नहीं होगी और निर्णय न्यायपूर्ण होगा लेकिन इन सब तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही दिनांक 29.08.2017 को बेबुनियाद आधार के पत्थरगढी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2017 व कार्यवाही पत्थरगढी दिनांक 22.09.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि ग्राम सालडवास, पटवारी हल्का चन्दवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर में खसरा नम्बर 489 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 479/584 रकबा 0.08 हैक्टर स्थित जिसके सम्बन्ध तहसीलदार आमेर से दिनांक 05.07.2017 को खसरा नम्बर 479, 479/584 का सीमाज्ञान करवाया गया है तथा इस सीमाज्ञान के बाबत

P.T.O.

0
संगीत अरुण
जयपुर

(4)

अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रही तथा सीमाज्ञान के आधार पर रेस्पोजेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 29.08.2017 को पारित किये गये है जिसकी पालना में तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 22.09.2017 को पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न कर दी गई है अर्थात् आदेश दिनांक 29.08.2017 की पातना तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 22.09.2017 को कर दी गई है इस कारण विचाराधीन अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि खसरा नम्बर 479 व 479/561 पर डण्डा बना हुआ है, इस कारण पत्थरगढी का कोई औचित्य नहीं है व उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन निर्णय खारिज किया जावे इसके अलावा अन्य कोई आधार अपील में नहीं लिया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर स्थगन प्राप्त करने के बाद दिनांक 29.09.2017 को रेस्पोजेन्ट की आराजी में जबरन निर्माण कार्य चालू कर दिया जिसके बाबत रेस्पोजेन्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अवमानना की कार्यवाही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 05.07.2017 को किये गये सीमाज्ञान आदेश को आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई तथा रेस्पोजेन्ट अपनी आराजी खसरा नम्बर 489, 479/584 व 478 की पत्थरगढी पूर्व में की गई सीमाज्ञान के आधार पर करवा रहा है ताकि भविष्य में उक्त सीमाओं से किसी को किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है जो पडौसी खातेदार है तथा रेस्पोजेन्ट से हमेशा सीमा चिन्हो को लेकर लड़ाई-झगड़ा करते रहते है तथा शान्तिपूर्वक जीवन जीने में बांधा कारित करते रहते है तथा पडौसी खातेदारों से हमेशा-हमेशा के लिए सीमा विवाद खत्म हो जावे तथा मधुर सम्बन्ध बने रहे इसलिये रेस्पोजेन्ट ने स्वयं के खर्चे से अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 05.07.2017 को करवाया गया जिस पर रेस्पोजेन्ट अपनी आराजी की सीमाओं पर पुख्ता चिन्ह कायम करवाने के कानूनन अधिकारी होने से उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 05.07.017 के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार द्वारा आराजी खसरा


P.T.O.

राज्य सरकार
जयपुर

(5)

नम्बरान 480, 481, 486 से 492, 476 से 478, 479/584 के सीमाज्ञान हेतु आदेश पारित किये गये हैं लेकिन सीमाज्ञान केवल खसरा नम्बरान 479/584, 478, 489 का ही पडौसी खातेदारान की अनुपस्थिति में सीमाज्ञान कराया गया है जबकि सीमा सीमाज्ञान के प्रकरणों में पडौसी खातेदारान को भी सुना जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उक्त तथ्यों पर गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2017 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।


अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की आराजी का पुनः सीमाज्ञान कराया जाकर तथा उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।



(के०सी०वर्मा)

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



संभागीय आयुक्त,
जयपुर।